अनुमंडल कार्यालय, मधेपुरा

पत्रांक 2071 /सा0

प्रेषक,

सचिव,
सिंहेश्वर मंदिर न्यास समिति
–सह–
अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा।

सेवा में,

प्रबंधक,
सिंहेश्वर मंदिर न्यास समिति
मधेपुरा।

मधेपुरा, दिनांक 21 वीं अक्टूबर 2013 ई0 ।

विषय :– सिंहेश्वर मंदिर में बाल विवाह रोकने हेतु निरोधात्मक कदम उठाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :– प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा के पत्रांक 2403/गो0 दिनॉक18.10.2013 ई0।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बाबा सिंहेश्वर मंदिर में बाल विवाह सम्पन्न ना किये जाए, इस हेतु निरोधात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति या संस्थाएँ जो इस कार्य में संलिप्त", के विरूद्ध कार्रवाई की जाए। साथ ही ऐसे व्यक्ति एवं संस्थाओं यथा–पुजारी, पंडित, होटल, विवाह भवन, बिचौलियॉ इत्यादित को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाए। इस संदर्भ में यह कहना आवश्यक है कि राष्टीय महिला आयोग इत्यादि संस्थाएँ ऐसे बाल विवाओं को बड़ी गंभीरता से लेती है। इससे पूर्व कि बाल विवाह की कोई वास्तविक घटनाा सामने आये, पूर्ण रूप से निरोधात्म्क कार्रवाई विशेषकर, मंदिर प्रांगण के अंदर इस प्रकार की कार्रवाई पर पूर्णतया रोक लगाना सुनिश्चित करें।साथ ही यह भी निदेश दिया जाता है कि:–

1. मंदिर में विवाह के लिए आए वर–वधु का फोटो पहचान पत्र/शैक्षणिक प्रमाण पत्र आदि उम्र के सत्यापन हेतु मॉग कर पंजी में संधारित करना सुनिश्चित करें।
2. यदि बेमेल (जैसे अधिक उम्र का वर तथा अपेक्षाकृत बहुत कम उम्र की वधु) विवाह की स्थिति आती है तो इसकी सूचना स्थानीय अंचल अधिकारी/थाना अध्यक्ष को देते हुए आश्वस्त होने पर ही विवाह की अनुमति मंदिर प्रांगण में दें कि प्रलोभन, दबाव आदि मेंयह विवाह नहीं हो रहा है।
3. विवाह के लिए आए लोगो (वर–वधु) का आवासीय पता सम्बन्धी साक्ष्य भी प्राप्त करें।
4. वर–वधु का तस्वीर निश्चित रूप से लेकर सम्बन्धित पंजी में उसे सुरक्षित रखें।
5. यदि विवाह में विडियोग्राफी हुई है तो सी.डी. की एक प्रति भी सुरक्षित रखें। सभी विडियोग्राफर को इस शर्त के साथ ही विडियोग्राफी की इजाजत दी जाए।
6. इसकी सूचना सभी संबंधितों को देना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन

21.10.13

सचिव,
सिंहेश्वर मंदिर न्यास समिति
–सह–
अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा।